

12-12-23

पत्रावली आज पेश हुई।

प्रार्थिनी के अधिवक्ता एवं प्रार्थिनी अनुपस्थित।

पत्रावली में मूल वाद अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज हो गया है। प्रार्थिनी के इस आवेदन को आगे बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं रहा है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।



सहायक कलक्टर
SDO धोबीमन्ना